भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *223

दिनांक 05.08.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी

*223. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री मनोज तिवारीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और राज्यवार और जिलावार ग्राम पंचायतों को कार्यालय संबंधी समर्पित अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्धारित मापदंडों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वीकृत कंप्यूटरों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद और महाराष्ट्र के जलगाँव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ राज्यवार और जिलावार डिजिटल सुविधा शत-प्रतिशत उपलब्ध कराई जा चुकी है;

(ग) सरकार द्वारा शेष पंचायतों को अवसंरचनात्मक और डिजिटल संसाधन प्रदान करने के लिए भविष्य की क्या योजना बनाई गई है;

(घ) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायतों की सेवा प्रदायगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में उक्त पहलों की राज्यवार भूमिका क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों को अब तक प्रदान की गई अन्य सुविधाओं और उनके बेहतर प्रदर्शन तथा उन्हें सशक्त बनाने के उक्त अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) : **विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।**

(क) से (ग) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के नाते, राज्य का विषय है और भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। ग्राम पंचायतों के लिए समर्पित कार्यालय अवसंरचना और पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। ग्राम पंचायत भवन, पंचायतों के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय के रूप में कार्य करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम पंचायत भवन कार्यात्मक हो, जिसमें प्रभावी शासन और सामुदायिक उपयोग के लिए लोगों के बैठने की व्यवस्था, ग्राम सभा की बैठकों के लिए स्थान, जन सूचना पटल, बहुउद्देशीय कक्ष आदि की व्यवस्था हो। तथापि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मंत्रालय सीमित स्तर पर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पंचायती बुनियादी ढांचे और कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों के निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, आरजीएसए (RGSA) योजना के तहत सीमित संसाधनों के बावजूद, मंत्रालय ने ग्राम पंचायत भवनों और कंप्यूटरीकरण के लिए संतृप्ति (saturation) आधारित दृष्टिकोण अपनाया। ग्राम पंचायत भवनों के संबंध में, ध्यान ऐसे पंचायतों को भवन स्वीकृत करने पर दिया गया जिनकी आबादी 3,000 से अधिक है लेकिन उनके पास अपना भवन नहीं है। तदनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3,301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जो पहले से स्वीकृत 9,639 भवनों के अतिरिक्त है। इसी प्रकार, कंप्यूटर के संबंध में ध्यान उन ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने पर था जिनके पास अपना भवन है। इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22,164 कंप्यूटरों की स्वीकृति दी गई, जो पहले से स्वीकृत 30,398 कंप्यूटरों के अतिरिक्त है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश भर में 2,63,989 ग्राम पंचायतें/ पारंपरिक स्थानीय निकाय (जीपी/ टीएलबी) हैं, जिनमें से 2,26,948 पंचायतों के पास भवन हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। ज़िला-वार जानकारी का रख रखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए, देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी तक, भारतनेट परियोजना के तहत 2.18 लाख जीपी/टीएलबी को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, भारतनेट फेज- I और फेज- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष ग्राम पंचायतों में एक नेटवर्क के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, पंचायतें निजी सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट कनेक्शन का भी उपयोग कर रही हैं।

RGSA योजना के अंतर्गत स्वीकृत कंप्यूटरों का विवरण **अनुलग्नक- II** पर उपलब्ध है। अभी तक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 100% कंप्यूटर की परिपूर्णता की सूचना दी है। राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 20 कंप्यूटर और महाराष्ट्र के जलगांव लोकसभा क्षेत्र में 14 कंप्यूटर स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) आरजीएसए योजना के अंतर्गत, राज्यों की पंचायतों में सेवा प्रदायगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए, आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, ताकि शासन और सार्वजनिक सेवा के लिए एक कार्यात्मक स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय आरजीएसए के तहत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन को काफी बढ़ावा मिला है। ई-पंचायत एमएमपी के हिस्से के रूप में विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन से पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुविधाजनक बनाया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज के एकीकरण से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान को सक्षम बनाया गया है, जिससे धनराशि का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित और द्रूत होता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर में कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं, और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई। 15वें वित्त आयोग के लिए ई-ग्राम स्वराज को अपनाने की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को भी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एकीकृत किया है। इस एकीकरण से पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के जरिए GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा मिली है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन से पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। पंचायत निर्णय एक और ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, पंचायतों के खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए एक एप्लिकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में शुरू किया गया, ऑडिटऑनलाइन, पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मज़बूत बनाने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग की पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए है। लेखापरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए, ग्राम पंचायतों द्वारा 2.45 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और 2.39 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं। लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन की राज्यवार प्रगति **अनुलग्नक- IV** पर दी गई है।

इसके अलावा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सुगमता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ग्राम पंचायत भवनों के भीतर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की सह-स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। सीएससी सह-स्थापना के माध्यम से, ग्रामीण नागरिकों को उनके घर पर ही ई-गवर्नेंस सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए पंचायतों को सुसज्जित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायतों के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमता विकसित कर सकें और पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। प्रशिक्षण के अलावा, यह योजना सीमित स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने और ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) की सह-स्थापना जैसी पंचायत अवसंरचना बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, धनराशि सीधे जिलों को नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए केंद्रीय हिस्से और खर्च की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक- V** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 223 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है,
के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पंचायत भवनों वाली ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कुल जीपी/ समकक्ष***	**भवन वाली ग्राम पंचायतें**
1	आंध्र प्रदेश	13371	12139
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	1182
3	असम	2192	1934
4	बिहार	8053	1548
5	छत्तीसगढ़	11693	11623
6	गोवा	191	183
7	गुजरात	14648	12047
8	हरियाणा	6227	2690
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3537
10	जम्मू और कश्मीर	4291	3964
11	झारखंड	4345	4247
12	कर्नाटक	5948	5690
13	केरल	941	940
14	मध्य प्रदेश	23011	21556
15	महाराष्ट्र	27943	23454
16	मणिपुर	161	134
17	मेघालय	6431	5372
18	मिजोरम	834	470
19	नगालैंड	1315	753
20	ओडिशा	6794	5576
21	पंजाब	13236	8329
22	राजस्थान	11193	11193
23	सिक्किम	199	185
24	तमिल नाडू	12525	11694
25	तेलंगाना	12848	10160
26	त्रिपुरा	606	588
27	उत्तर प्रदेश	57691	55058
28	उत्तराखंड	7817	7037
29	पश्चिम बंगाल	3339	3252
संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार	70	68
2	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	42	42
3	लक्षद्वीप	10	10
4	लद्दाख	193	185
5	पुद्दुचेरी	108	108
	कुल	**263989**	**226948**

* वार्षिक कार्य योजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक-II

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 223 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है,
के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत स्वीकृत कंप्यूटरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत***
1	आंध्र प्रदेश	1922
2	अरुणाचल प्रदेश	1936
3	असम	2055
4	बिहार	4267
5	छत्तीसगढ़	6496
6	गोवा	0
7	गुजरात	43
8	हरियाणा	1363
9	हिमाचल प्रदेश	334
10	जम्मू और कश्मीर	1318
11	झारखंड	2306
12	कर्नाटक	0
13	केरल	200
14	मध्य प्रदेश	289
15	महाराष्ट्र	1625
16	मणिपुर	141
17	मेघालय	1677
18	मिजोरम	591
19	नगालैंड	739
20	ओडिशा	350
21	पंजाब	8334
22	राजस्थान	1554
23	सिक्किम	235
24	तमिल नाडू	1594
25	तेलंगाना	3452
26	त्रिपुरा	493
27	उत्तर प्रदेश	3145
28	उत्तराखंड	4260
29	पश्चिम बंगाल	1712
30	अंडमान और निकोबार	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4
32	लक्षद्वीप	0
33	लद्दाख	127
34	पुद्दुचेरी	0
कुल		**52562**

*2022-23 से 2025-26 के दौरान स्वीकृत (31.07.2025 तक)

अनुलग्नक -III

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 223 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ई-ग्राम स्वराज - राज्यवार उपयोग (2024-25)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या*	शामिल की गई ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल की गई ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल की गई जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	असम	2662	2197	2183	191	191	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11701	11684	11540	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14645	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6226	5980	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5942	238	232	127	31	31	29
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27940	27025	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1289	977	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13234	10240	153	151	123	23	22	19

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या*	शामिल की गई ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल की गई ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या *	शामिल की गई जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
21	राजस्थान	11222	11219	10905	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12648	572	540	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7795	7757	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57638	826	826	819	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
कुल		**264494**	**252969**	**244235**	**8691**	**6402**	**6165**	**659**	**649**	**616**

*राज्यों द्वारा पोर्टल पर अंकित जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक -IV

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 223 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन से संबंधित राज्यवार प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल ग्राम पंचायतें	तैयार की गई लेखापरीक्षा योजनाओं की संख्या	तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13328	13324	13308
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	2093
3	असम	2197	1713	620
4	बिहार	8056	8055	8051
5	छत्तीसगढ़	11656	11555	11121
6	गोवा	191	191	191
7	गुजरात	14665	14638	14582
8	हरियाणा	6227	6218	4241
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3614
10	जम्मू और कश्मीर	4291	0	0
11	झारखंड	4345	0	0
12	कर्नाटक	5950	5950	5950
13	केरल	941	941	941
14	लद्दाख	193	0	0
15	मध्य प्रदेश	23012	22983	22741
16	महाराष्ट्र	27952	27909	27456
17	मणिपुर	161	0	0
18	मेघालय	0	0	0
19	मिजोरम	843	0	0
20	नगालैंड	0	0	0
21	ओडिशा	6794	6794	6752
22	पंजाब	13240	13107	13003
23	राजस्थान	11255	11009	9291
24	सिक्किम	199	199	199
25	तमिलनाडु	12525	12525	12525
26	तेलंगाना	12772	12769	12737
27	त्रिपुरा	1194	1176	1176
28	उत्तराखंड	7795	7795	7793
29	उत्तर प्रदेश	57754	57744	57651
30	पश्चिम बंगाल	3339	3227	3225
कुल		**256598**	**245543**	**239261**

अनुलग्नक-V

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 223 जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केंद्र का हिस्सा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई धनराशि का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.35	2.52	59.66
2	अरुणाचल प्रदेश	108.69	132.45	72.09	89.97	70.00	77.94
3	असम	55.29	95.15	77.70	91.41	60.00	72.60
4	बिहार	33.37	70.07	25.00	51.81	0.00	78.05
5	छत्तीसगढ़	0.00	29.52	17.57	22.25	16.50	34.13
6	गोवा	0.00	1.12	0.89	1.00	1.35	1.29
7	गुजरात	0.00	0.01	0.00	1.28	0.00	15.48
8	हरियाणा	0.00	3.06	0.00	8.84	5.00	8.24
9	हिमाचल प्रदेश	60.65	37.49	19.31	69.30	27.21	43.13
10	जम्मू और कश्मीर	40.00	57.75	65.00	98.61	65.00	57.89
11	झारखंड	0.00	18.44	31.00	25.95	0.00	26.56
12	कर्नाटक	36.00	25.67	20.00	39.01	16.25	49.52
13	केरल	30.40	23.13	10.00	37.04	10.00	32.65
14	मध्य प्रदेश	28.00	145.17	32.17	74.16	40.00	96.92
15	महाराष्ट्र	37.84	129.03	116.12	194.26	80.00	134.81
16	मणिपुर	8.63	3.31	9.56	8.34	0.00	3.91
17	मेघालय	0.00	6.41	6.00	6.26	8.00	7.60
18	मिजोरम	14.27	25.48	10.00	15.64	12.00	22.69
19	नगालैंड	0.00	0.00	10.00	5.46	10.00	18.28
20	ओडिशा	11.40	24.83	27.33	44.22	20.00	60.15
21	पंजाब	34.25	42.91	10.00	23.06	5.00	23.89
22	राजस्थान	0.00	32.41	21.72	40.12	15.00	30.88
23	सिक्किम	6.01	4.98	6.00	7.90	7.00	7.35
24	तमिलनाडु	25.42	8.53	0.00	25.98	45.00	63.79
25	तेलंगाना	0.00	3.19	20.00	20.47	0.00	9.05
26	त्रिपुरा	9.80	3.76	7.43	10.96	10.00	20.29
27	उत्तर प्रदेश	85.05	96.33	84.13	158.95	38.77	180.84
28	उत्तराखंड	42.48	57.15	64.67	66.29	50.00	63.72
29	पश्चिम बंगाल	4.28	50.89	33.69	57.32	52.68	82.68

क्र. सं.	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
	संघ राज्य क्षेत्र						
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.03	0.79	1.28	2.12	1.18
31	दादरा और नगर हेवेली एवं दमन और दीव	1.14	4.50	1.00	0.38	1.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	1.52	1.00	0.80	0.00	0.58
	कुल	**672.97**	**1128.25**	**800.17**	**1317.21**	**670.40**	**1385.75**
	अन्य आई.ए	10.01	10.01	14.69	14.69	23.77	23.77
	कुल	**682.98**	**1138.26**	**814.86**	**1331.90**	**694.17**	**1409.52**

नोट: जहाँ कहीं व्यय जारी की गई राशि से अधिक है, वहाँ इसका कारण यह है कि राज्य के पास पिछले वर्षों से अव्ययित राशि पहले से उपलब्ध थी।
*केंद्र के हिस्से के रूप में जारी धनराशि
^ उपयोग की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से के साथ-साथ राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

***